



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012022-232435
CG-DL-E-05012022-232435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943

No. 42]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

का.आ. 43(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार ने मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी – गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बी जी पी एल) के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा-2 के खंड (क) के तहत नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित क्षेत्रों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये नियुक्त किया था:-

तालिका

व्यक्ति का नाम एवं पद (1)	क्षेत्राधिकार (2)
1. श्री सलीम अख्तर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया जिला, बिहार सरकार	बिहार राज्य के अररिया जिले में आने वाले क्षेत्र

2. श्री मो0 अफाक अहमद, भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज जिला, बिहार सरकार	बिहार राज्य के किशनगंज जिले में आने वाले क्षेत्र
--	--

2. ऊपर उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को अनधिसूचित किया जाता है।
3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/197/2021-जीपी-II (ई-40902)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2022

S.O. 43(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India had appointed the person(s) mentioned in the column (1) of the Table given below as Competent Authority under clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) on additional charge basis for Barauni – Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) of M/s. GAIL (India) Limited in respect of the areas mentioned in Column (2) of the said Table:

TABLE

Name and Designation of Persons	Areas of Jurisdiction
(1)	(2)
1. Shri Saleem Akhtar, Land Reform Deputy Collector, Araria District, Government of Bihar.	Areas falling in Araria District, State of Bihar.
2. Shri Mohd. Afaak Ahmed, Land Reform Deputy Collector, Kishanganj District, Government of Bihar.	Areas falling in Kishanganj District, State of Bihar.

2. The above mentioned Competent Authority(s) stands de-notified.
3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/197/2021-GP-II (E-40902)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.